दिनांक : 08.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1, 2 के सम्मन वाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 1 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाव नहीं देना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की वहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी वहस में वताया की प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी खातेदार काश्तकार होकर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा हैं। विपक्षी संख्या 1 आये दिन प्रार्थी की आराजीयात पर कब्जा करने की नियत से प्रार्थी को परेशान करता है और सेजारी को धमकी देता है कि तू इन खेतो में काम करना वन्द कर दे प्रार्थी की भूमि में अनाधिकृत प्रवेश कर फसल नुकसान करता है वाड घास आदि को नुकसान करता है जिससे विपक्षी को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातदोर काश्तकार है। प्रार्थी द्वारा कथन कहा गया कि विपक्षी द्वारा प्रार्थी के हिस्से की भूमि में विपक्षीया द्वारा वाधा उत्पन्न की जा रही हैं जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सावित होता हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सावित होने से सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के विन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाते हैं। उपरोक्त विन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी को पावन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है जिससे किसी प्रकार के मौके के परिवर्तन से वचा जा सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सौलंकियों का खेडा पटवार हल्का लूणदा भू–अभिलेख निरीक्षक लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की जमावंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 23 की आराजी नम्वर 3, 45, 51 किता 3 रकवा 0.4900 है. भूमि में विपक्षी मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके की यथास्थिति वनाए रखें। प्रार्थी के आने जाने व कृषि कार्य में किसी प्रकार की वाधा उत्पन्न नहीं करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्वर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:17:57 IST
Reason: SelfAttested